



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

[प्रेस विज्ञप्ति](#)

[दिनांक 02.02.2024](#)

प्रेस नोट

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में शामली पुलिस द्वारा अवैध हथियार रखने के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते 01 अपराधी को मा0 न्यायालय एसीजेएम कैराना द्वारा सुनाई गयी सजा एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया ।

अवगत कराना है कि मु0अ0सं0 559/2000 धारा 25 आयुध अधिनियम में अभियुक्त शकील उर्फ मुकरीम पुत्र मुसब निवासी मौहल्ला हाजीपुर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर अभियोग पंजीकृत किया गया था । आज दिनांक 02.02.2024 को माननीय न्यायालय एसीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त शकील उर्फ मुकरीम उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 25 आयुध अधिनियम (अवैध हथियार रखने के मामले) में अभियुक्त शकील उर्फ मुकरीम को एक माह साधारण कारावास की सजा एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया ।

नाम व पता अभियुक्त:-

1.शकील उर्फ मुकरीम पुत्र मुसब निवासी मौहल्ला हाजीपुर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI